न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस

राजस्व वाद प्रकरण 30/2020 Gcms No. 2020/00089

दायरा तिथि : 11.08.2020

निर्णय दिनांक: 28-07-22

वादीगण :–

1. नेनाराम पुत्र अनाराम
2. होंसाराम पुत्र अनाराम
3. डूंगीबाई उर्फ मंजू पुत्री श्री अनाराम तमाम जाति से मीणा निवासीगण कागदडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. चुनाराम पुत्र ओटाजी
2. रमेशकुमार पुत्र चुनारामजी
3. कैलाशकुमार पुत्र चुनारामजी
4. मुकेशकुमार पुत्र चुनारामजी
5. पेणाराम पुत्र चुनारामजी
6. सामताराम पुत्र कसनाजी
7. पालाराम पुत्र कसनाजी
8. दुदाराम पुत्र ओटाजी
9. मोवनीदेवी पत्नि चुनारामजी
   तमाम जाति से मेणा निवासीगण कागदडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
10. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–

1. श्री गणपतलाल चौधरी .... अभिभाषक वादीगण की ओर से
2. श्री कैलाशजी कुमावत .... अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 01, 03, 04 की ओर से
   श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार.................. पैरोकार सरकार

दिनांक : 28-07-22

–:: निर्णय ::–

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने ग्राम कागदडा पटवार हल्का आमलिया तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 438 रकबा 0.96 हैक्टर किस्म बारानी दोयम के संबध में वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 के विरूद्व इस आशय की सार्वकालिक निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण दखलन्दाजी नहीं करे। वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 की प्रतिया मय गिरदावरी की प्रतिया, प्रमाणित प्रति नक्शा ट्रेस, जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 की प्रति जो नेट से निकाली गई, फोटो प्रति सक्षम प्राधिकारी मेहसाना भटिण्डा पाईपलाईन भूमि अधिग्रहण नोटिस दिनांक 20.09.2017, फोटो प्रति फर्द मौका दिनांक 23.06.2020, फोटो प्रति रिपोर्ट पुलिस थाना दिनांक 17.07.2020, पुलिस उप अधीक्षक को पेश रिपोर्ट की फोटो प्रति दिनांक 17.07.2020 पेश की गई। इन अभिलेखीय साक्ष्यों के अलावा बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह p.w. 01 नेनाराम पुत्र अनाराम मीणा उम्र 44 वर्ष के बयान कलमबद्ध कराये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01, 03, 04 की ओर से अधिवक्ता कैलाशकुमावत द्वारा जवाबदावा पेश कर वादपत्र में वर्णित तथ्यो से असहमति व्यक्त करते हुये वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र प्रतिवादी संख्या–01 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 437 व गोचर भूमि खसरा नंबर 436 एवं नाडी की भूमि खसरा नंबर 439 पर अवैद्य रूप से कब्जा के नियत से गलत तौर पर प्रस्तुत करना बताया। जिससे वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 02, 05, 06, 07, 08, 09 बावजुद सम्मन तामील के वकालतन/असालन अनुपस्थित रहने से न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2021 प्रतिवादी संख्या 02, 05, 06, 07, 08, 09 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये। तथा प्रतिवादी संख्या 10 तहसीलदार, बाली के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं होने से इनका जवाब अवसर भी बंद किया गया।

दावे व जवाबदावा के आधार पर प्रकरण में वाद बिन्दु कायम किये गये। वादी पक्ष की साक्ष्य के पश्चात् प्रतिवादी पक्ष को साक्ष्य के लिये कई मर्तबा समय/अवसर दिये जाने के बावजुद कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया। जिससे दिनांक 22.12.2021 की आदेशिका से प्रतिवादी पक्ष के मौखिक साक्ष्य का अवसर बन्द करते हुये पत्रावली को अंतिम बहस के लिये रखा गया। इसके बाद पत्रावली लम्बे समय तक राजीनामा के लंबित रही। अंत में राजीनामा प्रस्तुत नही होने से दिनांक 20.07.2022 को उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई।

पेज लगातार 02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज

राजस्व वाद प्रकरण 30/2020 Gcms No. 2020/00089

अनवान नेनाराम वगैरा बनाम चुनाराम वगैरा

अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रकरण में कायम वाद बिन्दुओ को निम्नानुसार निर्णित किया जाता है:–

1. आया सरहद मौजा कागदडा पटवार हल्का, आमलिया में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 438 रकबा 0.96 हैक्टर किस्म बारानी दोयम वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कराने के अधिकारी हैं ?... वादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व वादीगण का था। वादीगण द्वारा वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 की प्रति के अनुसार ग्राम कागदडा के खसरा नंबर 438 रकबा 0.96 हैक्टर की भूमि वादी अनाराम वल्द दलाराम के खातेदारी की दर्ज होना प्रमाणित है, तथा इसी जमाबंदी पर लगे नोट के अनुसार फौतेदगी नामा.करण संख्या 415 से अना के स्थान पर नेनाराम, होंसाराम पि. अनाराम डुंगीबाई पुत्री अनाराम कौम मेणा दर्ज होना प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध गिरदावरी सवंत् 2070, 2071, 2072, 2073, की प्रतियो के अनुसार इन वर्षो में वादीगण के पिता अनाराम पुत्र दलाराम की काश्त व कब्जा दर्ज होना प्रमाणित है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा इसके खण्डन स्वरूप कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। जिससे यह मानने के पर्याप्त आधार हैं कि वादग्रस्त भूमि कागदडा के खसरा नंबर 438 रकबा 0.96 हैक्टर वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिससे उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व व वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. आया मौजा कागदडा के खसरा नंबर 437 रकबा 0.43 हैक्टर किस्म बारानी दोयम प्रतिवादीगण संख्या 01 के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने तथा वादीगण के खातेदारी भूमि खसरा नंबर 438 के पास स्थित खसरा नंबर 436 गोचर एवं खसरा नंबर 439 नाडी की भूमि पर कब्जा करने की नियत से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज योग्य है?....... प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व प्रतिवादी पक्ष का था। प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 437 की जमाबंदी की प्रति पेश नहीं की गई, परन्तु वादी पक्ष अपने वादपत्र एवं प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य अपने बयानो में यह स्वीकार करते हैं कि खसरा नंबर 437 वादीगण के पडौसी खसरा है, जिसके खातेदार प्रतिवादी संख्या–01 द्वारा उनकी खातेदारी भूमि में दखलन्दाजी की जा रही है। जिससे यह मानने में कोई आपत्ति नहीं हैं कि मौजा कागदडा के खसरा नंबर 437 रकबा 0.43 हैक्टर प्रतिवादी संख्या–01 के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपने जवाबदावा में इस आशय के कथन उल्लेखित किये है कि वादीगण द्वारा खसरा नंबर 436 गोचर एवं खसरा नंबर 439 नाडी की भूमि पर कब्जा करने की नियत से उक्त वाद प्रस्तुत किया है, जो खारिज योग्य है। वादी पक्ष द्वारा गोचर एवं नाडी की भूमि पर स्पष्ट तौर पर कब्जा करना प्रतिवादी पक्ष द्वारा न तो अभिलेखीय साक्ष्यो के माध्यम से सिद्व कराया एवं न ही मौखिक साक्ष्यो के माध्यम से सिद्व कराया, जिससे प्रतिवादी पक्ष की यह दलील मानने योग्य नहीं हैं कि वादी पक्ष द्वारा गोचर एवं नाडी की भूमि पर कब्जा करने की नियत से उक्त वाद पेश किया गया है। जबकि निरीक्षक भू0अ0 नाना व पटवारी हल्का, आमलिया द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 20.10.2021 के अनुसार वादी पक्ष के भूमि पैमायश के आवेदन पर पास में पडी गोचर भूमि की पैमायश पुर्व में की गयी है उक्त गोचर भूमि हेतु वादीगण व प्रतिवादीगण लडाई झगडा कर रहे है। प्रार्थीगण नेनाराम की वर्तमान समय में सम्पूर्ण खसरा नंबर 438 पर कब्जा काश्त मौके पर है। इस प्रकार हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि खसरा नंबर 438 की भूमि वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है, जिस पर प्रतिवादी पक्ष द्वारा दखलन्दाजी करने से उक्त वाद पेश किया है, तथा वाद के विचारण रहते हुये भी दखलन्दाजी करने से प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प आमलिया में भी आवेदन किया गया। जिससे उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

3. अनुतोष ?

तनकी संख्या 01 व 02 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो जाने से वादीगण अन्य कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं रहते है।

–:: निर्णय ::–

तनकी संख्या 01 व 02 में किये निर्णय के अनुसार ग्राम कादडा पटवार हल्का आमलिया के खसरा नंबर 438 रकबा 0.96 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है एवं खसरा नंबर 437 रकबा 0.43 हैक्टर किस्म बारानी दोयम प्रतिवादी संख्या–01 के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है, तथा दोनो खसरो की सीमाये आपस में एक दूसरे से लगती हुई होने से प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादी पक्ष के खातेदारी की भूमि में दखलन्दाजी के प्रयास करने से वादी पक्ष द्वारा उक्त वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया है। अतः तनकी संख्या 01 व 02 में किये विवेचन अनुसार वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 438 रकबा 0.96 हैक्टर में प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा से रोका जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 28-07-22 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-बाली (राज.)

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास **सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.**

वादीगण :–

1. नेनाराम पुत्र अनाराम
2. होंसाराम पुत्र अनाराम
3. डूंगीबाई उर्फ मंजू पुत्री श्री अनाराम तमाम जाति से मीणा
   निवासीगण कागदडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. चुनाराम पुत्र ओटाजी
2. रमेशकुमार पुत्र चुनारामजी
3. कैलाशकुमार पुत्र चुनारामजी
4. मुकेशकुमार पुत्र चुनारामजी
5. पेणाराम पुत्र चुनारामजी
6. सामताराम पुत्र कसनाजी
7. पालाराम पुत्र कसनाजी
8. दुदाराम पुत्र ओटाजी
9. मोवनीदेवी पत्नि चुनारामजी
   तमाम जाति से मेणा निवासीगण कागदडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
10. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

राजस्व वाद प्रकरण सं0 30/2020 Gcms No. 2020/00089

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

तनकी संख्या 01 व 02 में किये निर्णय के अनुसार ग्राम कादडा पटवार हल्का आमलिया के खसरा नंबर 438 रकबा 0.96 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है एवं खसरा नंबर 437 रकबा 0.43 हैक्टर किस्म बारानी दोयम प्रतिवादी संख्या–01 के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है, तथा दोनो खसरो की सीमाये आपस में एक दूसरे से लगती हुई होने से प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादी पक्ष के खातेदारी की भूमि में दखलन्दाजी के प्रयास करने से वादी पक्ष द्वारा उक्त वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया है। अतः तनकी संख्या 01 व 02 में किये विवेचन अनुसार वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 438 रकबा 0.96 हैक्टर में प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा से रोका जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28-07-22 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना,
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी बाली (राज.)

Scanned with CamScanner